न्यायालय : वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डेगाना, न्यायक्षेत्र मेड़ता, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी	—	राजेश्वर विश्नोई, आर.जे.एस.
फौज. विविध प्र. सं.	—	228 / 2025
परिवाद	—	प्रियंका वगैरह बनाम कमलेश

दिनांक : 19.05.2026

वकील उभय पक्ष उपस्थित। गत पेशी पर बहस अंतरिम भरण–पोषण हेतु सुनी जा चुकी है।

दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की एवं जाहिर किया कि प्रार्थी संख्या 1 का विवाह अप्रार्थी के साथ दिनांक 25.11.2020 को हिन्दू रीति–रिवाज व सप्तपदी के अनुसार ग्राम बंवरला सम्पन्न हुआ था व उक्त विवाह के समय प्रार्थीया संख्या 1 के पिता, रिश्तेदारो ने उपहार के तौर पर गहने, कपड़े, घरेलू सामान व कीमती आभूषण दिये थे, जो स्त्रीधन प्रार्थीया संख्या 1 ने शादी के बाद विदाई के समय अपने सुसराल लेकर गई थी। विवाह के पश्चात् प्रार्थीया संख्या 1 अप्रार्थी के साथ उसके निवास स्थान पर जाकर निवास करने लगी। उक्त विवाह से प्रार्थीया संख्या 1 व अप्रार्थी वैवाहिक जीवन से दो पुत्रियां प्रार्थीया संख्या 2 मानवी जन्म दिनांक 31.10.2021 व प्रार्थीया संख्या 3 रूची जन्म दिनांक 10.12.2023 को हुवा। विवाह के कुछ दिनों के पश्चात् ही प्रार्थीया संख्या 1 व अप्रार्थी के मध्य छोटी–छोटी बातों को लेकर लड़ाई–झगड़ा होना प्रारम्भ हो गया। प्रार्थीया संख्या 1 को दहेज के लिये ताने देते व मारपीट करते व दहेज मे एक मोटरसाइकिल पिता से लाकर देने की मांग की, तब

प्रार्थीया संख्या 1 ने अप्रार्थी को समझाया कि उसके पिता ने कर्ज लेकर विवाह किया है एवं उसका पिता गरीब व्यक्ति है। मोटर साईकिल देने में समर्थ नहीं है, तब अप्रार्थी ने प्रार्थीया संख्या के साथ मारपीट की एवं भूखे प्यासा रखा। अप्रार्थी व अप्रार्थी के परिवार वाले प्रार्थीया संख्या 1 को पुत्री मानवी का जन्म होने पर लड़की पैदा होने को लेकर भी प्रताड़ना दी। कुछ माह पश्चात् अप्रार्थी ने लडकी होने का ताना देकर एवं मारपीट कर, अपने पीहर से दहेज में मोटरसाइकल लाने की मांग को लेकर प्रार्थीया संख्या 1 को दिनांक 10.03.2023 को ग्राम बंवरला भेज दिया। फिर अप्रार्थी व अप्रार्थी के पिता को ग्राम बंवरला बुलाकर समझाईश कर पुनः प्रार्थीया संख्या को अपने ससुराल बस्सी भेजा। कुछ समय बाद दिनांक 21.07.2023 को जब प्रार्थीया संख्या 1 पेट से थी, तब दहेज की मांग लेकर प्रार्थीया संख्या 1 अप्रार्थी ने मारपीट की, तब प्रार्थीया संख्या 1 को जान से मारने की अन्देशा होने पर डर से खुद को कमरे के अन्दर बंद कर लिया तथा गर्भावस्था मे रात भर भूखी प्यासी कमरे मे बंद रही, तब सूचना मिलने पर प्रार्थीया संख्या 1 के पिता रामविलास, बड़े पिता सत्यनारायण, गांव के मौजीज व्यक्ति अभय सिंह पुत्र हनुमान सिंह इत्यादि ने बस्सी पहुंचकर अप्रार्थी व उसके परिवार वालों को समझाया, तब अप्रार्थी व उसके परिवार वाले आईन्दा इस तरह की हरकत नही करने एवं प्रार्थीया को सही ढंग से रखने की गारंटी दी। प्रार्थीया संख्या 1 के दूसरी पुत्री संख्या 2 रूची के जन्म की प्रसव पीड़ा हुई तो अप्रार्थी व उसका परिवार प्रार्थीया संख्या को बस में बैठाकार अजमेर ले गये, जो प्रार्थीया संख्या 1 के ससुराल से 20–25 किमी दूर है तथा अजमेर हॉस्पिटल में पुत्री हुई तो

सभी परिवारजन नाराज हो गये तथा प्रार्थीया संख्या 1 को वहां से अपने पीहर ग्राम बंवरला भेज दिया, तब से आज तक प्रार्थीया संख्या 1 अपने पुत्रिया अन्य प्रार्थीगण सहित अपने पीहर में ही निवास कर रही है। प्रार्थीया संख्या 1 का स्त्रीधन व घरेलू सामान अप्रार्थी के निवास पर पड़ा है और प्रार्थीया संख्या 1 के द्वारा मांगने पर लौटाने से मना कर दिया। प्रार्थीया संख्या 1 जितने दिन भी अप्रार्थी के साथ रही उसके द्वारा प्रार्थीया संख्या 1 के साथ मारपीट, गाली—गलोच की गई तथा अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीया संख्या 1 के साथ मानसिक व शारीरिक क्रूरता कारित की गई, जिससे प्रार्थीया संख्या 1 मानसिक बीमारी से परेशान रहने लगी, इस कारण क्रूरता के आधार पर प्रार्थीया संख्या 1 द्वारा आपराधिक प्रकरण भी पेश किया गया तथा परिवादिया व उसकी पुत्रियों का बिना वजह अभित्याग कर भरण—पोषण नहीं किया जा रहा है। प्रार्थीया संख्या 1 को अप्रार्थी द्वारा घर से निकाल देने के बाद से प्रार्थीया संख्या 1 अपने पीहर में निवास कर रही है। प्रार्थीया संख्या 1 व अन्य प्रार्थीगण दो व तीन बच्चियों के खाने—पीने, दवाइयों एवम् अन्य खर्चों में कम से कम 25,000/— रूपये खर्चा प्रतिमाह हो जाता है, जो कि प्रार्थीया संख्या 1 वर्तमान में कमाने में असमर्थ है। प्रार्थीया संख्या 1 के पति व अन्य प्रार्थीगण के पिता, अप्रार्थी अंग्रेजों के कपड़े कि सिलाई कटिंग का मास्टर है, जो पुष्कर में कार्य करता है तथा गांव में घर पर भी कपड़ों की सिलाई का काम करता है एवं घर पर स्वयं की रेडिमेन्ड कपड़ो की दुकान है, जिससे वह प्रतिमाह 50,000/— रूपये कमा लेता है। अप्रार्थी की आय अप्रार्थी के खर्च से कई गुना अधिक है। अप्रार्थी का जीवन व रहन सहन अत्यन्त रईसी का है। अप्रार्थी व

उसके परिवार वालें अत्यन्त प्रभावशाली पहुंच वाले व्यक्ति है। प्रार्थीया संख्या 1 किसी भी प्रकार का कार्य नहीं जानती है, इस कारण अपना खर्चा उठाने में असमर्थ है और अप्रार्थी जो कि अधिक आय और कम खर्च होने के कारण काफी बचत हो जाती है, तो अप्रार्थी प्रार्थीया के भरण–पोषण करने की उपेक्षा कर रहा है, जो प्रार्थीया को दिलाया जाना न्यायहित में उचित है। प्रार्थीया संख्या 1, अप्रार्थी की विवाहिता पत्नी एवं प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 अप्रार्थी की नाबालिग पुत्रियां है। अपनी पत्नी व नाबालिग पुत्रियों का भरण–पोषण करने का अप्रार्थी का विधिक एवं नैतिक दायित्व है। प्रार्थीगण स्वयं कमाने में असमर्थ है, जबकि अप्रार्थी के पास प्रार्थीगण के भरण–पोषण के पर्याप्त साधन होते हुवे भी अप्रार्थी प्रार्थीगण का भरण–पोषण नहीं कर रहा है तथा नैगलेट कर रखा है, जिससे प्रार्थीगण के भूखे मरने की नौबत आ गयी है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को अप्रार्थी से 25,000/– रूपये अंतरिम भरण–पोषण की राशि दिलवाए जाने का निवेदन किया गया।

उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए वकील अप्रार्थी की ओर अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की गई एवं जाहिर किया कि अप्रार्थी आज भी प्रार्थीया को अपने साथ बतौर पत्नी साथ रखने को तैयार है एवं प्रार्थीया व बच्चों भरण–पोषण भी अपनी हैसियत के अनुसार करने को तत्पर है, लेकिन प्रार्थीया स्वयं अप्रार्थी के साथ रहना नहीं चाहती है तथा अकेली स्वच्छन्द जिन्दगी ऐशोआराम के साथ जीना चाहती है। प्रार्थीया के पास आय को अच्छे स्त्रोत है तथा वह सिलाई–कढ़ाई का कार्य कर अच्छी आमदनी प्राप्त करती है, जबकि अप्रार्थी कपड़े की फैक्ट्री में काम करता है, जिससे मात्र 5–6 हजार रूपये

प्रतिमाह आय प्राप्त होती है, जिससे भी प्रार्थीया इस प्रार्थना पत्र के जरिये कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं हैं। अप्रार्थी भोली प्रवृति का व्यक्ति है तथा पुष्कर में कपड़े की फैक्ट्री में काम करता है तथा प्रतिमाह मात्र 6–7 हजार रूपये तनख्वाह मिलती है, जिसमें भी आने जाने का किराया खर्च हो जाता है। अप्रार्थी जब प्रार्थीया को लेने हेतु ससुराल जाता तो आने में आनाकानी करती थी, तब अप्रार्थी के पिता कैलाश जी एवं अप्रार्थी स्वयं ग्राम बंवरला गये तथा प्रार्थीया को ससुराल चलने के लिये समझाया, लेकिन प्रार्थीया व उसके माता–पिता ने प्रार्थीया को ससुराल नहीं भेजा, तत्पश्चात कुछ समय बाद अप्रार्थी के पिता एवं अप्रार्थी स्वयं व गांव के दानसिंह जी सभी प्रार्थीया को लेने ग्राम बंवरला गये, तब प्रार्थीया के माता–पिता ने बड़ी रकम की मांग की तथा कहा कि अगर आप दोनों बच्चियों के नाम 5–5 लाख रूपये कराने होगें व पुष्कर या थांवला में मकान बनाकर देना होगा, तभी प्रार्थीया को ससुराल भेजेंगे। प्रार्थीया ससुराल वाले घर में नहीं रहेगी। अप्रार्थी व उसके पिता एवं दानसिंह जी ने काफी समझाईश की एवं कहा कि इतनी बड़ी राशि एव मकान अलग बनाने की हमारी हैसियत नही है, तो प्रार्थीया ने साथ आने से इन्कार कर दिया एवं अपनी नाजायज मांग पर अड़े हुवे हैं। अप्रार्थी ने माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 परबतसर में प्रार्थीया को साथ रखने एवं दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना हेतु अन्तर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत याचिका प्रस्तुत की, जो लम्बित है, जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी आज भी प्रार्थीया को साथ रखने को तैयार है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्ध दहेज का मुकदमा प्रथम सूचना रिपोर्ट

संख्या 180/2025 पुलिस थाना डेगाना में दर्ज करवायी, जिसमें स्वयं प्रार्थीया ने स्वीकार किया है कि केवल छोटी–मोटी कहासुनी हुई थी, जिससे आवेश में आकर गलतफहमी में मुकदमा दर्ज करवाया दिया है, जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा कोई दहेज की मांग नहीं की गई। इस प्रार्थना पत्र में भी दहेज के तथ्य अंकित किये है वे सभी सरासर गलत साबित हैं। प्रार्थीया के इस प्रकार के क्रूरतापूर्ण व्यवहार एवं मुकदमेबाजी से अप्रार्थी स्वयं अवसाद में आ गया है तथा अप्रार्थी स्वयं के डॉ. महेन्द्र जैन से मनोरोग का ईलाज चल रहा है। अप्रार्थी अवसाद में है तथा वर्तमान में कोई कमाई भी नहीं कर रहा है, जिससे प्रार्थीया कोई भरण–पोषण राशि प्राप्त करने की अधिकारीनी नहीं है। प्रार्थीया ने जो दहेज का मुकदमा दर्ज करवाया, जो पुलिस ने झूठा मानते हुवे एफ.आर. न्यायालय में पेश कर दी है, जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थीया के साथ दहेज संबंधी कोई मांग नहीं की गई। प्रार्थीया को बिना कारण के अपने पीहर में रहने से समाज के मौतबीर लोगों को ले जाकर समझाया, लेकिन प्रार्थीया ने अप्रार्थी के साथ जाने से मना कर दिया, जबकि प्रार्थीया का विधिक व नैतिक दायित्य है कि अप्रार्थी के साथ रहकर अपने दाम्पत्य जीवन का पालन करें एवं प्रार्थीया अप्रार्थी के साथ रहती है तो अप्रार्थी के लिये उसका व दोनों बच्चों का भरण–पोषण करना सम्भव है, लेकिन बिना कारण के अलग रहकर प्रार्थीया का भरण–पोषण करना कतई सम्भव नहीं है। प्रार्थीया ने उक्त आवेदन श्रीमान के समक्ष अप्रार्थी को तंग व परेशान करने के लिये किया है। प्रार्थीया का समस्त स्त्रीधन प्रार्थीया के पास ही है। अप्रार्थी के पास प्रार्थीया का कोई स्त्रीधन नहीं है। प्रार्थीया अपने माता–पिता के

बहकावे में आई हुई है तथा बिना किसी वजह से प्रार्थीया अप्रार्थी से अलग निवास कर रही है एवं अपने पत्नी धर्म का निर्वहन नहीं कर रही है और अप्रार्थी को दाम्पत्य सुख के अधिकारों से वंचित कर दिया है, जिसका कोई भी वाजिब कारण नहीं है और बिना किसी कारण के उपरोक्त बदनीयति के कारण प्रार्थीया पत्नी धर्म का पालन नहीं कर रही हैं। प्रार्थीया ने बिना किसी उचित कारण के अप्रार्थी को उसके नाबालिग बच्चों से अलग कर दिया है। प्रार्थीया जानबूझकर दोनों बच्चों को अपने पिता से दूर रख रही है। अप्रार्थी अपने दोनों बच्चों से अत्यन्त स्नेह रखता है एवं उनके उज्ज्वल भविष्य हेतु उन्हें अच्छी शिक्षा व सुविधाएं देने को तत्पर है, लेकिन प्रार्थीया अप्रार्थी को बच्चों से मिलने भी नहीं देती हैं। प्रार्थीया अपनी स्वयं अपनी इच्छा से अप्रार्थी के साथ रहना नहीं चाहती है। प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार अप्रार्थी व उसके परिवारजनों ने कभी भी प्रार्थीया पर मोटरसाइकिल लाने का कभी दबाव नहीं बनाया एवं ना ही प्रार्थीया के साथ कभी अप्रार्थी व उसके परिवारजनों ने कोई गलत व्यवहार किया, बल्कि अप्रार्थी का परिवार हमेशा प्रार्थीया को बेटी मानकर पूरा मान–सम्मान किया है तथा प्रार्थीया को ससुराल में कोई कोई चीज की कमी नहीं होने दी एवं प्रार्थीया की हर जायज जरूरत एवं मांग की पूर्ति अप्रार्थी व उसके परिवारजनों ने की है। प्रार्थीया का पति जो कि भोली किस्म का व्यक्ति है, प्रार्थीया जो कि आधुनिक जीवनशैली की महिला है तथा अप्रार्थी के साथ रहना नहीं चाहती है तथा अप्रार्थी से अलग रहकर ऐशोआराम की जिन्दगी व्यतीत करना चाहती है। प्रार्थीया को उसके माता पिता ने बहका दिया है तथा प्रार्थीया को भी अपना ससुराल छोड़ने हेतु उकसा रहे हैं,

जिससे प्रार्थीया बार—बार अनावश्यक रूप से अपने पति से डिमाण्ड कर रहे हैं। प्रार्थीया का व्यवहार प्रारम्भ से ही अपने ससुराल पक्ष के प्रति सहयोगात्मक एवं सम्मानजनक नहीं रहा है, बल्कि प्रार्थीया का रवैया हमेशा क्रूरतापूर्ण एवं विवाद उत्पन्न करने वाला रहा है। प्रार्थीया छोटी—छोटी बातों पर विवाद खड़ा करती रही थी एवं परिवार वालों के साथ सदैव दुर्व्यवहार करती रही है, इसके बावजूद अप्रार्थी व उसके परिवार वाले यह सोचकर कि वैवाहिक जीवन प्रभावित न हो तथा पारिवारिक संबंध बने रहे। सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुवे सब कुछ सहन करते रहे। अप्रार्थी व उसका परिवार हमेशा प्रार्थीया के साथ सामंजस्य स्थापित करने एवं वैवाहिक संबंधों को बनाये रखने का प्रयास करते रहे, परन्तु प्रार्थीया स्वयं ही बिना किसी उचित कारण के अलग रहने का निर्णय लिया है एवं अपने बच्चों के साथ ग्राम बवंरला में निवास कर रही हैं। अप्रार्थी का परिवार भूमिहीन है। अप्रार्थी का भाई भी बीमार रहता है, जिसके पूरे शरीर पर एलर्जी हो रखी है, जो कमाकर खाने में पूरी तरह से असमर्थ है एवं पिताजी भी बीमार रहते हैं एवं कभी—कभार गांव में नरेगा में मजदूरी करने के लिये जाते हैं। एक वर्ष में मात्र 100 दिन काम मिलता है एवं मजदूरी भी कभी दिन की 100 कभी 150 रू. आती है, जिससे उनका स्वयं का खर्चा भी चलाना सम्भव नहीं है एवं पिता स्वयं पेट रोग से ग्रसित है। परिवार में अकेला अप्रार्थी ही कमाने वाला है, जो भी मात्र 5—6 हजार रूपये की बचत होती है। अप्रार्थी अपने अपने माता—पिता एवं छोटे भाई रवि के भरण—पोषण की जिम्मेदारी है, जो इतनी कम कमाई से बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा चला पा रहा है, जिससे अप्रार्थी प्रार्थीया व बच्चों को

अलग से भरण पोषण राशि देने में समर्थ नहीं है। साथ रखते हुवे भरण–पोषण अपनी हैसियत के अनुसार करने को तैयार हैं। प्रार्थीया ने अपने आवेदन के साथ अपनी शैक्षणिक योग्यता के संबंध में कोई को जानकारी नहीं दी है एवं ना ही आय के संबंध में कोई भी विवरण दिया है। शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है तथा तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए अंतरिम भरण–पोषण आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति की तथा वकील अप्रार्थी ने तर्क दिया कि प्रार्थीया ने आय–व्यय का शपथ पत्र पेश नहीं करके तथ्यों को छिपाया है। अप्रार्थी ने धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत प्रार्थीया को लाने हेतु कार्यवाही कर रखी है। अप्रार्थी भूमिहीन व्यक्ति है और उसके मासिक वेतन मात्र 7,500/– रूपये होने के संबंध में प्रमाण पत्र पेश किया गया है। अप्रार्थी अक्सर बीमार रहता है। वकील अप्रार्थी का एक तर्क यह भी है कि कई न्यायिक दृष्टांतों में माननीय न्यायालयों द्वारा आय छिपाने पर पत्नी का भरण–पोषण रद्द किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीया का अंतरिम भरण–पोषण का निवेदन अस्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया।

सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तर्कों पर मनन किया गया। यह निर्विवाद है कि प्रार्थीया प्रियंका अप्रार्थी कमलेश की पत्नी तथा प्रार्थीया मानवी व रूचिका अप्रार्थी की

पुत्रियां हैं। अप्रार्थी शारीरिक रूप से असक्षम नहीं है। यह सुस्थापित विधि है कि पति अपनी पत्नी व संतानों का भरण–पोषण करने से इस आधार पर इन्कार नहीं कर सकता है कि उसके पास आय का पर्याप्त साधन नहीं है। अप्रार्थी द्वारा दिए गए शेष तर्क साक्ष्य का विषय है। इस स्तर पर गुणावगुण पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है। वर्तमान में यह प्रथमदृष्ट्या प्रकट होता है कि प्रार्थीया के पास स्वयं के भरण–पोषण हेतु पर्याप्त आय के स्त्रोत नहीं है एवं अप्रार्थी, प्रार्थीया के प्रति भरण–पोषण का विधिक दायित्व होते हुए भी उनका भरण–पोषण नहीं कर रहा है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि मूल प्रार्थना–पत्र के निस्तारण में समय लगने की संभावना है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का अंतरिम भरण–पोषण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। प्रकरण में इस स्तर पर अप्रार्थी की आय एवं उसके संसाधनों के संबंध में तथा पक्षकारों के जीवनयापन के स्तर एवं जरूरतों के संबंध में प्रथम दृष्टया निष्कर्ष प्राप्त करने हेतु कोई पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं प्रमाण अभिलेख पर नहीं होने से, अन्तरिम भरण–पोषण प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवचनों को दृष्टिगत रखते हुए तथा **आय व्यय के शपथ पत्रों** को देखते हुए प्रार्थीया को अन्तरिम भरण–पोषण दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए अप्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि हस्तगत प्रार्थना–पत्र पेश होने की तारीख से मूल प्रार्थना–पत्र के निस्तारण तक प्रार्थीया प्रियंका को 3,000/– रुपये अक्षरे तीन हजार रूपये व उसकी पुत्रियां मानवी व रूचिका को उनकी शिक्षा, दीक्षा के लिये प्रत्येक को 1,500/– रुपये अक्षरे एक हजार पांच

सौ रुपये, **कुल 6,000/– रूपये अक्षरे चार हजार रूपये** प्रतिमाह अदा करेगा। अप्रार्थी, प्रार्थीया को भरण–पोषण की मासिक राशि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अदा करे व आज तक की उद्भूत राशि तीन समान किश्तों में तीन माह में अदा करे।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रार्थीया हेतु दिनांक 02.09.2026 को पेश हो।